राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर ।

:: आ दे श ::

बदरी लाल वगैरा। बनाम् राजस्व मण्डल अजमेर वगैरा।

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या-2956 /1997 अन्तर्गत
अनुच्छेद 226 एवं 227 भारतीय संविधान.

15-11-2006

उ प स्थि त

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

श्री कमलाकर शर्मा, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण।
पण्डित श्री ज्ञानेश्वर बाढ़दार अधिवक्ता मय
श्री मोहन चौधरी, अधिवक्ता वास्ते प्रतिपक्षीगण।

न्यायालय द्वारा-

प्रतिपक्षी संख्या-4 की ओर से एक प्रार्थना पत्र सहायक जिलाधीश, केशोरायपाटन के समक्ष प्रस्तुत किए गये वाद के शीर्षक "माफी मंदिर मठ स्थान इन्द्रगढ, प्रबंधक श्री शंकर गिर चेला हेम गिर जाति-गुसाई, निवासी- इन्द्रगढ़" के संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है और यह प्रार्थना की गई है कि उक्त वाद शीर्षक के स्थान पर "माफी मन्दिर मठ ठाकुरजी अम्बाजी व भैरूजी बिराजमान मन्दिर मठ इन्द्रगढ़, जरिये-मैनेजर एवं पुजारी शंकर गिर, जाति-गोसाई, निवासी- इन्द्रगढ़, उप-तहसील, इन्द्रगढ़ जिला-बूंदी" संस्थित किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना गया।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 व 227 के प्रावधानों के अन्तर्गत वाद के शीर्षक में

संशोधन करना उचित प्रतीत नहीं होता। वैसे भी इस प्रकार के संशोधन की प्रार्थना अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष नहीं की गई है, किन्तु इस विधिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कि केवल विधिक व्यक्ति(Legal Person) ही वाद प्रस्तुत कर सकता है और माफी मन्दिर मठ कोई विधिक व्यक्ति नहीं है। उक्त परिस्थितियों में न्याय के हित में संशोधन सम्बन्धी प्रस्तुत किए गये इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण का निर्देश राजस्व मण्डल, अजमेर को दिया जाना उचित प्रतीत होता है। चूंकि विधिक व्यक्ति से सम्बन्धित यह विधिक बिन्दू प्रथम बार इस न्यायालय के समक्ष उठाया गया है और यह बिन्दू राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष नहीं था। अत: मेरे समक्ष इस प्रकरण को राजस्व मण्डल, अजमेर को प्रति-प्रेषित करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है।

परिणामत: यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है। राजस्व मण्डल, अजमेर का आक्षेपित निर्णय दिनांक- 18.12.1996 निरस्त किया जाता है तथा यह प्रकरण निम्न निर्देश के साथ राजस्व मण्डल, अजमेर को प्रति-प्रेषित किया जाता है:-

(1) उप-निबन्धक (न्यायिक) प्रतिपक्षी संख्या-4 की ओर से प्रस्तुत किए गये मूल प्रार्थना पत्र को राजस्व मण्डल, अजमेर को प्रेषित करेगा। राजस्व मण्डल, अजमेर उक्त प्रार्थना पत्र का उत्तर प्रस्तुत करने का प्रार्थीगण को समय प्रदान करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण विधि अनुसार करेगा।

(2) प्रार्थना पत्र स्वीकार हो जाने की स्थिति में प्रकरण का नये सिरे से गुणावगुण पर निस्तारण किया जावेगा।

(3) राजस्व मण्डल, अजमेर का नये आदेश पारित होने तक विवादित सम्पत्ति के

सम्बन्ध में यथास्थिति बनाई रखी जावेगी।

(4) पक्षकार 5.12.2006 को राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष उपस्थित रहेगें।

(5) याचिका का व्यय पक्षकार स्वयं अपना अपना वहन करेगें।

(न्या. शिव कुमार शर्मा)

एमसीएस